

## प्रेस विज्ञप्ति थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 17.01.2023

**चोरी की कुल 26 अदद एन्ड्रॉयड मोबाइल फोन(अनुमानित कीमत कुल 3.50 लाख रुपया), पीली धातू अंगूठी व 4750/- रुपया नकद के साथ 02 शातिर मोबाइल चोर गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी गोला गोरखपुर के निर्देशन व श्री जय नारायण शुक्ला प्रभारी निरीक्षक बड़हलगंज के निकट नेतृत्व में वरिष्ठ 030नि0 श्री संतोष कुमार सिंह, 030नि0 श्री रविसेन यादव मय हमराह पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्तगण 1. फेकन मण्डल पुत्र बेचन मण्डल निवासी महाराजपुर नया टोला थाना तालझाड़ी जनपद साहेबगंज (झारखण्ड) 2. करन कुमार मण्डल पुत्र शम्भू मण्डल निवासी मशकलईया थाना तालझाड़ी जनपद साहेबगंज (झारखण्ड) को चोरी की कुल 26 अदद एन्ड्रॉयड मोबाइल फोन, 4750/- रुपया नकद व एक अदद पीली धातु की अंगूठी के साथ गिरफ्तार कर थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 634/22 धारा 418,379 भादवि व मु0अ0सं0 654/22 धारा 379 भादवि का अनावरण किया गया तथा बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोगों में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी व अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद शुदा 26 अदद मोबाइल फोन के सम्बन्ध में थाना बड़हलगंज पर मु0अ0सं0 24/23 धारा 41/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का विवरण-** वादी श्री शिवम तिवारी द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 5/12/2022 को दिन में करीब 1.30 बजे मेरी चाची जो अपने मायके से बड़हलगंज टैम्पो से आ रही थी कि तीन अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी चाची का हैंड बैग जिसमें सोने का चैन व सोने का टपून व 1500 रुपया था कि उसको चुराकर फरार हो गए। मेरे द्वारा काफी खोजा गया किन्तु उन लोगों का पता नहीं चल पाया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 654/22 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। तथा वादी श्री इन्द्रेश कुमार पाण्डेय द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 21.11.2022 दिन सोमवार 2.30pm से 3 pm के बीच अम्बेडकर चौराहा रोडवेज बड़हलगंज पर मेरी माता बस का इन्तजार कर रही थी तभी एक युवक इनके पास आया और इनसे बात चीत कर अपने रूपये को पोटली इनके बैग में डाला जिसमें रुपया था या नहीं पर इसका विरोध करने के बाबजूद वह इनको बहला फुसलाकर कि मैं अपना रुपया आपके बैग में रख रहा हूँ और आप अपना जेवर भी अपने बैग में डाल दीजिए ताकि सब सुरक्षित हो जाय जिसमें इनका एक चैन और दो अंगूठी निकलवाकर बैग में डलवा दिया और उसी बीच इनका ध्यान भटका कर इनका सामान चुरा लिया और बैग में अपना ताला मार दिया जिसका इनको पता नहीं चल पाया और चाभी लेकर इनको आटो से पटना चौराहा भेज दिया चाभी मांगने पर चाभी नहीं दिया और चला गया और यह शादी में आजमगढ़ जा रही थी वहा जाकर ताला काटा गया तो बैग में इनका सामान नहीं था जिसके पश्चात इनको उसके ठगी से चोरी करने का पता चला। प्राप्त प्रार्थना के आधार पर मु0अ0सं0 634/22 धारा 418/379 भादवि पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -**

1. फेकन मण्डल पुत्र बेचन मण्डल निवासी महाराजपुर नया टोला थाना तालझाड़ी जनपद साहेबगंज (झारखण्ड)
2. करन कुमार मण्डल पुत्र शम्भू मण्डल निवासी मशकलईया थाना तालझाड़ी जनपद साहेबगंज (झारखण्ड)

### **गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-**

1. मु0अ0सं0 634/22 धारा 418/379/411 भादवि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 654/22 धारा 379/411 भादवि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 24/23 धारा 41/411 भादवि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर

## **बरामदगी -**

1. कुल 26 अदद एण्ड्रॉयड मोबाइल ।
2. कुल 4750/- रूपया नकद ।
3. एक अदद पीली धातू की अंगूठी ।

## **गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. वरि०उ०नि० श्री संतोष कुमार सिंह थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
2. उ०नि० श्री रविसेन यादव थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
3. का० अनिल यादव थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
4. का० अवधेश यादव थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
5. का० संदीप चौहान थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
6. का० प्रिंस यादव थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर